प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

11.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कुल एक लाख 86 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से एक लाख 17 हजार 5 सौ 21 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प दिया है और इस समय सभी विभागों में ओपीएस लागू है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी निगमों, स्वतंत्र निकायों और इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम, दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कोई देनदारियां बकाया नहीं है और ओपीएस लागू करने के बाद से 12 हजार 8 सौ 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 4 हजार 2 सौ 95 दंपत्ति अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको मिलने वाला मकान और चिकित्सा भत्ता नियमों के तहत प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा 31 अगस्त 2023 तक इन पर 8 करोड़ 27 लाख 87 हजार 74 रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

अनुपूरक बजट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में सदन में वित्त वर्ष 2024–25 के अनुपूरक बजट की पहली व अंतिम किस्त प्रस्तुत की। सदन ने इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद सरकार को 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि को खर्च करने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सदन में 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की। इनमें से 15 हजार 7 सौ 76 करोड़ 19 लाख राज्य स्कीमों और एक हजार 2 सौ 77 करोड़ 59 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधित किए गए हैं। उन्होंने सदन से अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

भवानी पठानिया

कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल केंद्र सरकार से खैरात नही मांग रहा बल्कि हिमाचल के लोगों के हक मांग रहा है। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय भी हिमाचल को केन्द्र से कोई मदद नहीं दी गई है।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय आवासन व शहरी कार्यमंत्री तोखन साहू ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माण क्षमता गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले वर्ष 34 हजार एक सौ 28 रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाईट हाउस परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल की स्वीकृत परियोजना के लिए पिछले वर्ष 24 दिसम्बर को सामान्य पूल निधि के रूप में 5 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काजा में सी.एच.सी. परियोजना शामिल है।